



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55437-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10041 वर्ष 2026

कृष्णकान्त राय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : अरविंद श्रीवास्तव, फूल सिंह यादव, विजय बहादुर विश्वकर्मा

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., सी.एस.सी., यश पाडिया

न्यायालय संख्या 40

माननीय न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद श्रीवास्तव, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री यश पाडिया और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 4 के पक्ष में जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र और प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश दिनांक 18.09.2024 को खारिज कर दिया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने पहले रिट-सी संख्या 330/2026 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसमें इस न्यायालय ने 12.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-

“1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री N.C. Tripathi, जिन्हें श्री Om Prakash Tripathi, अधिवक्ता द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री Vinay Kumar Khare को सुना गया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है-

“(i) परमादेश (mandamus) की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या-2/जिलाधिकारी, जनपद झांसी को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता की दिनांक 03.10.2024 की शिकायत (परिशिष्ट संख्या-12) पर, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विवादित गाटा संख्या 281, ग्राम नोहरा, जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश के संबंध में प्रतिवादी संख्या-3/उपजिलाधिकारी, झांसी द्वारा जारी एन.ओ.सी. रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 (परिशिष्ट संख्या-9) के विरुद्ध विचार कर निर्णय लें, जिसे प्रतिवादी संख्या-4 द्वारा प्रस्तावित स्थान पर बी.पी.सी.एल. के लिए आर.ओ. शॉप/पेट्रोल पंप हेतु प्रस्तुत किया गया है।”

3. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया है कि उसने प्रतिवादी संख्या-4 के साथ Bharat Petroleum Corporation Limited के समक्ष रिटेल आउटलेट हेतु आवेदन किया था। प्रतिवादी संख्या-4 का चयन कर उसे रिटेल आउटलेट आवंटित कर दिया गया। याचिकाकर्ता चयनित न होने के कारण, Bharat Petroleum Corporation Limited की कार्यवाही को चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि तकनीकी आधार पर पेट्रोल पंप की स्थापना की कार्यवाही को रोकने का प्रयास कर रहा है, यह कहते हुए कि संबंधित भूमि की सही पहचान नहीं की गई है तथा प्रतिवादी संख्या-4 द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. यह न्यायालय पाता है कि Bharat Petroleum Corporation Limited को पक्षकार बनाए बिना तथा उसकी कार्यवाही को चुनौती दिए बिना, वर्तमान रिट याचिका ग्राह्य (maintainable) नहीं है।



5. रिट याचिका भ्रामक है और इसे खारिज किया जाता है।”

4. 2026 की रिट-सी संख्या 330 में पारित दिनांक 12.01.2026 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से यह प्रार्थना की थी कि प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा उसकी सुनवाई की जाए। याचिकाकर्ता की रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा आदेश के पैराग्राफ संख्या 3 में बताए गए कारण से खारिज कर दिया गया है, जिसे ऊपर निकाला गया है।

5. हमारा विचार है कि एक बार जब इस न्यायालय ने निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से पहले जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया है, इसलिए, उपरोक्त रिट याचिका को खारिज करने के बाद, याचिकाकर्ता के पास प्रत्यर्थी संख्या 4 के पक्ष में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

6. हम आगे पाते हैं कि याचिकाकर्ता ने पहले प्रत्यर्थी संख्या 4 को जारी किए गए आशय पत्र को चुनौती देते हुए 2024 की रिट-सी संख्या 36640 दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया था, और उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2025 के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया था, जिसे यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

“1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस रिट याचिका को वापस लेने की प्रार्थना करते हैं, इस स्वतंत्रता (liberty) के साथ कि वे समान कारण-ए-कार्यवाही (cause of action) पर बेहतर विवरण (better particulars) के साथ पुनः याचिका दायर कर सकें।

2. तदनुसार, रिट याचिका को वापस ली गई मानते हुए इस स्वतंत्रता के साथ निरस्त किया जाता है कि याचिकाकर्ता समान कारण-ए-कार्यवाही पर बेहतर विवरण सहित पुनः याचिका दायर कर सके।”

7. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के पक्ष में जारी किए गए आशय पत्र को चुनौती देते हुए कोई रिट याचिका दायर नहीं की है।

8. हम आगे पाते हैं कि हालांकि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के आशय पत्र को चुनौती देते हुए रिट-सी संख्या 36640/2024 को प्राथमिकता दी है, जिसे उसने वापस लेने के रूप में खारिज



कर दिया था, और बाद में, उसने 2026 की रिट-सी संख्या 330 को प्राथमिकता दी थी, जिसमें उसने प्रत्यर्थी संख्या 4 को जारी किए गए आशय पत्र को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना था, और केवल प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से पहले याचिकाकर्ता की शिकायत सुनने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है, इसलिए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाले 18.09.2024 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करने वाली वर्तमान रिट याचिका को इस स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि याचिकाकर्ता पहले की रिट याचिका में इसे बहुत अच्छी तरह से चुनौती दे सकता था। यह ध्यान रखना उचित है कि इस न्यायालय ने 2026 की रिट-सी संख्या 330 को खारिज करते हुए एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता ने असफल होने के कारण प्रत्यर्थी-बीपीसीएल की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी है, और उक्त निष्कर्ष को दर्ज करके, याचिकाकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है, इसलिए, उक्त याचिका को इस आधार पर भी खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करने के आदेश को चुनौती नहीं दी है।

9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका में गुण-दोष का अभाव है और लागत के सम्बन्ध में बिना किसी आदेश के **खारिज** किया जाता है।

18 मार्च, 2026

सत्यार्थ

(न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान) (न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव)